352

संख्याः– 132 /II–2015–12/1(12)/2006

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुनर्वास निदेशक,
टिहरी बांध परियोजना,
नई टिहरी।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2016

विषय : जनपद टिहरी गढ़वाल के घोण्टी हल्का वाहन झूला पुल के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–836/पु0नि0टिबॉ0परि0/घोंण्टी/2015, दिनांक 21.08.2015 एंव पत्र संख्या 245/पु0नि0टिबॉ0परि0/घोंण्टी/2015, दिनांक 30.10.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घोण्टी हल्का वाहन झूला पुल के पुनरीक्षित प्राक्कलन रू0 3220.00 लाख के सापेक्ष टीएसी वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण इंगित की गयी धनराशि रू0 3083.17 लाख (रू0 2195.76 लाख सिविल निर्माण कार्यो हेतु +रू0 887.41 लाख अधिप्राप्ति कार्यो हेतु) में से शासनादेश संख्या 759/II–2013–12/1(12)/2006 दिनांक 20.02.2013 द्वारा घोण्टी हल्का वाहन झूला पुल की मूल स्वीकृत लागत रू0 2369.50 लाख को कम करते हुए पुनरीक्षित आगणन की अवशेष धनराशि रू0 713.67 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार के 50 प्रतिशत अंश की अवशेष धनराशि रू0 356.59 लाख (रू0 तीन करोड़ छप्पन लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

..2

(viii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(x) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xi) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–15–टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास–800–अन्य व्यय–02–अन्य रखरखाव कार्य–0201–परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या S1602200346 दिनांक से आवंटित की जा रही है। धनराशि के उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01.04.2015 एवं 1336/XXVII(1)/2015, दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश सं0–1097/XXVII(2)/2015, दिनांक 11 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

पृ0सं0:– 132 / II–2015–12/1(12)/2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी निदेशक (पुनर्वास) अवस्थापना मण्डल, ऋषिकेश, कैम्प : 26, ई0सी0 रोड़ देहरादून।
9. कोषाधिकारी, देहरादन/टिहरी गढ़वाल
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
12 नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13 बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
14 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
15 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।